

सार्वजनिक सूचना

"पीएमकेवीवाई 4.0 के नाम पर धोखाधड़ी" के खिलाफ सावधानी

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कुछ अनधिकृत और बेईमान व्यक्ति / धोखाधड़ी और अवैध रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ("पीएमकेवीवाई 4.0") के लिए विभिन्न वेबसाइटों, इंटरनेट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य मोड के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ("एमएसडीई"), भारत सरकार ("जीओआई") और / या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ("एनएसडीसी") के नाम, चिह्न, लोगो और अन्य बौद्धिक संपदा के ड्राफ्ट दिशानिर्देशों का उपयोग कर रहे हैं।

इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि एमएसडीई, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ("पीएमकेवीवाई 4.0") के नाम पर अभी तक या एमएसडीई की प्रमुख फ्लैगशिप आउटकम-बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ("पीएमकेवीवाई 3.0") की किसी भी उत्तराधिकारी योजना को मंजूरी या पारित नहीं किया है या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है।

आम जनता, और विशिष्ट रूप से इच्छुक उम्मीदवारों/प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षण केंद्रों को ऐसे अनधिकृत और बेईमान व्यक्तियों/संगठनों के प्रति आगाह किया जाता है जो पीएमकेवीवाई 4.0 के नाम से ऐसी झूठी और भ्रामक जानकारी जारी करते हैं।

एमएसडीई और एनएसडीसी की विभिन्न योजनाओं का विवरण क्रमशः एमएसडीई और एनएसडीसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 3.0 (यदि और जब भी एमएसडीई द्वारा जारी किया जाता है) की किसी भी उत्तराधिकारी योजना का विवरण एमएसडीई, पीएमकेवीवाई और एनएसडीसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाएगा। सभी संबंधित स्टैकहोल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में एमएसडीई (<https://www.msde.gov.in>/पीएमकेवीवाई (<http://www.pmkvyofficial.org>) और एनएसडीसी (<https://nsdcindia.org>) की आधिकारिक वेबसाइटों से किसी भी जानकारी को नियमित रूप से देखें और सत्यापित करें।

यह एडवाइजरी एमएसडीई के निर्देश पर जारी की जा रही है।